



82

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल खण्डपीठ इन्दौर के
P.B.M. (निगरानी) / इंदौर / भू. रा/2018/2496
समक्ष

अफसानाबी पति गफफार पटेल नायता

निवासी—ग्राम जैतपुरा तह. व जिला इन्दौर

—प्रार्थी/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

कालु पिता श्याम चौधरी

निवासी—कमला नेहरू नगर इन्दौर

—प्रत्यर्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक महोदय तह. सांवेर जिला इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 53/अ-12/17-18 आदेश दिनांक 12/03/2018 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः—

रेस्पांडेंट के द्वारा अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक महोदय के समक्ष ग्राम राजौदा तह. सांवेर जिला इन्दौर स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 239/2/1, 236/2/1 रकबा क्रमशः 0.253, 0.225 हेक्टेयर भूमि पर सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना सरहदी किसानो को सूचना पत्र जारी कर बाले—बाले सीमांकन की प्रक्रिया की गई। उक्त सीमांकन में अपीलार्थी का 0.292 हेक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा होना बताया गया। उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया अवैधानिक प्रक्रिया होकर बिना निगरानीकर्ता को सुने, बिना निगरानीकर्ता को सूचना दिये टी.एस.एम.मशीन से सम्बंधित पंचनामा एवं फिल्डबुक प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया

द्वारा 12/03/2018 को

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2018/2496

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदकपक्ष की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं। आवेदकपक्ष व उसके अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण आवेदक पक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p></p>	<p>(मनोज गायल)</p> <p>अध्यक्ष</p> 